न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1124/2024

अनवान : –

1. सरोज देवी पत्नी देवदत जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर।

—— **वादीया**

बनाम

1. किशनलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर जिला ।
2. वाचस्पति उर्फ वाचस्पति व्यास पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. कमल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
4. गिरधर उर्फ गिरधारी पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
5. उमा देवी उर्फ उमा व्यास पत्नी पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
6. हेमन्त पुत्र पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
7. ऋचा उर्फ ऋचा पारीक पुत्री पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
8. रितु उर्फ विभा पुत्री पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
9. सुनील दत व्यास पुत्र देवदत व्यास जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
10. मनीष दत्त व्यास पुत्र देवदत जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
11. भूपेन्द्र व्यास पुत्र देवदत व्यास जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244/249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जो की पूर्व में वादीया के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि वादीया की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो कि वादीया के देवर जेठ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो कि वादीया के देवर मृतक पंतजलि के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है जो कि वादीया के पुत्र है जिनका नाम जमाबंदी में दर्ज है तथा उक्त जमाबंदी में दर्ज भूमि में सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहते है तथा अपरोक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा दर्ज है वह अपने भाई/चाची वादीया सरोज देवी के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं चाहते है इस प्रकार बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244/249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज भूमि में वादीया काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 अपने नाम दर्ज भूमि में यथावत काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जो की पूर्व में वादीया के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि वादीया की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो कि वादीया के देवर जेठ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो कि वादीया के देवर मृतक पंतजलि के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है जो कि वादीया के पुत्र है जिनका नाम जमाबंदी में दर्ज है तथा उक्त जमाबंदी में दर्ज भूमि में सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपरोक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा दर्ज है वह अपने भाई/चाचा मृतक देवदत की पत्नी सरोज देवी के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है इस प्रकार बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा मि[illegible] तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244/249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज भूमि में वादीया काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 अपने नाम दर्ज भूमि में यथावत काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244/249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार महावीर प्रसाद के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244/249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के नाम दर्ज भूमि में नाम मुताबिक शीर्षक संशोधित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:30 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1124 / 2024

अनवान : –

1. सरोज देवी पत्नी देवदत जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर।

–– वादीया

बनाम

1. किशनलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर जिला ।
2. वाचस्पति उर्फ वाचस्पति व्यास पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. कमल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
4. गिरधर उर्फ गिरधारी पुत्र महावीर प्रसाद जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
5. उमा देवी उर्फ उमा व्यास पत्नी पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
6. हेमन्त पुत्र पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0।
7. ऋचा उर्फ ऋचा पारीक पुत्री पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
8. रितु उर्फ विभा पुत्री पंतजलि जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
9. सुनील दत व्यास पुत्र देवदत व्यास जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. मनीष दत्त व्यास पुत्र देवदत जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
11. भूपेन्द्र व्यास पुत्र देवदत व्यास जाति व्यास निवासी नोहर तहसील नोहर ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1124 सन 2024 निर्णय दिनांक – 16/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 244 / 249 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 10.9520 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के नाम दर्ज भूमि में नाम मुताबिक शीर्षक संशोधित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:30 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर